न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:– 36 / 16

लांसनायक भंवरसिंह पुत्र गिर्राजसिंह, जाति गूजर, निवासी मालीपुरा तहसील व जिला भरतपुर (राज0)

–– वादी

बनाम

1. हाकिम पुत्र धर्मसिंह
2. मुनीम पुत्र धर्मसिंह
3. हंसराम पुत्र हाकिम
4. केशव पुत्र हाकिम
5. कल्ला पुत्र हाकिम

सभी जाति गूजर निवासी हरनगर (वेदपुरा) मजरा पालीडांग, तहसील बयाना, जिला भरतपुर राजस्थान

6. भगवानसिंह पुत्र रामचरन जाति गूजर निवासी नगला ठाडा (मृतक)

6 / 1. सांमती वेवा भगवानसिंह

6 / 2. हंसराम पुत्र भगवान

6 / 3. जलसिंह पुत्र भगवानसिंह

सभी जाति गूजर निवासी नगला ठौडा, तहसील बयाना राजस्थान

6 / 4. लक्ष्मी पुत्री भगवानसिंह, पत्नी विजयसिंह, जाति गूजर निवासी हाल ब्रहम्बाद, तहसील बयाना, जिला भरतपुर राजस्थान

7. सोनी पुत्र रामचरन जाति गूजर निवासी नगला ठौडा (मृतक)

7 / 1. रुपेन्द्रसिंह पुत्र सोनी, जाति गूजर निवासी नगला ठौडा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर

7 / 2. सन्तरा पुत्री सोनी, पत्नि भूपेन्द्रसिंह

7 / 3. पूजा पुत्री सोनी पत्नि नरेश

7 / 4. रमीला पुत्री सोनी, पत्नी मानसिंह

सभी जाति गूजर निवासी हाल सिघांडा तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान

8. तिमन पुत्र रामचरन
9. महाराज पुत्र रामचरन
10. हेतराम पुत्र भगवानसिंह
11. दिनेश पुत्र भगवानसिंह

सभी जाति गूजर निवासी नगला ठौडा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर राजस्थान

–– प्रतिवादीगण

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

न्यायालय उप जिला कलक्टर बयाना (भरतपुर)

दावा–बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राज0टी0एक्ट

निर्णय दिनांकः– 9/4/26

उपस्थितिः– श्री भूपेन्द्रनाथ शर्मा एड0 वादीगण
श्री देवकीनन्दन शर्मा एड0 प्रतिवादी

वादी द्वारा यह दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज.टीनैन्सी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 243 रकवा 0.04, 244 रकवा 0.03, 245 रकवा 1.23 किता 3 कुल रकवा 1.30 हैक्टे0 वाके ग्राम गोंठरा पटवार हल्का पालीडांग तहसील बयाना जिला भरतपुर का वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है व काविज आराजी है इस समय वादी ने उक्त आराजी में गेंहू व सरसों की फसल बोरखी है जो कि इस समय खडी हुई है वादी ही उक्त आराजी का राज लगान अदा करता आ रहा है, उक्त वादग्रस्त आराजी राज्य सरकार के द्वारा वादी को भारतीय सैनिक होने के नाते दि0 05.06.1999 को आवंटित की गई है और वादी को वाकई कब्जा दिया गया है, प्रतिवादी गण एक स्ट्रेन्जर व्यक्ति है कि जिनका वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त आराजी मुतनाजा से किसी प्रकार का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा है न आज तक किसी हैसियत में कोई कब्जा काश्त रहा है दि0 04.07.2015 को दिन के करीब 11–12 बजे श्रीमान तहसीलदार साहब बयाना के आदेशानुसार पटवारी हल्का व गिरदावर वादी की उक्त आराजी की पैमाइश करने के लिये मौके पर वादी को साथ ले कर गये प्रतिवादी गण वादी की उक्त आराजी की नाप नही करने देने के इरादे से तथा वादी को जान से मारने के इरादे से हमलावर होकर टूट पडे और वादी के साथ लाठी सरिया आदि से बुरी तरह मारपीट की चोंटे पहुचाई कि जिसकी एफ0आई0आर0 न0 232/2015 पुलिस थाना रूदावल पर दर्ज की गई कि जिसमें पुलिस ने बाद अनुसंधान अभियुक्त गण के विरूद्ध न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी गई है कि जिसका ट्रायल न्यायालय में चल रहा है, इस प्रकार प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी की उक्त वादग्रस्त आराजी को लाठी के बल पर जबरन अनाधिकृत व अबैधानिक रूप से छिनाना चाहते है कि जिसका प्रतिवादी गण को कोई हक नहीं है, दिनांक 13.02.2016 को वादी अपनी उक्त फसल को मौके पर देखने गया तो प्रतिवादी गण पुनः वादी के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए और वादी को यह ऐलानियां धमकी दी कि हमारी तो लाठी में ताकत है, तू ने इस आराजी मे फसल तो बोई है मगर तेरी फसल को हम ही काटेंगे और तुझे तेरी फसल को किसी भी हालत मे नहीं काटने देंगे और तुझे आयन्दा इस आराजी का कोई उपयोग उपभोग नही करने देंगे न तुझे काश्त करने देंगे बल्कि लाठी के बल पर तुझे बेदखल करके अपना कब्जा करेंगे और तेरी आराजी की डौल मैंड को तोडकर अपनी आराजी में मिला लेंगे कि जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक नहीं है, यदि प्रतिवादी गण अपनी उक्त नाजायज मंशा व धमकी मे सफल हो गए तो वादी को बहुत ही अपरिमित क्षति होगी और वादी अपनी खातेदारी की उक्त आराजी के उपयोग उपभोग व हकूक खातेदारी से सदैव के लिये बंचित हो जावेगा, अत वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता के लिये यह दावा न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत करना अति आवश्यक हो गया है।

अन्त में वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वह उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 243 रकवा 0.04, 244 रकवा 0.03 तथा 245 रकवा 1.23 किता 3 कुल रकवा 1.30 हैक्टे0 वाकै ग्राम गोठरा तहसील बयाना के वादी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग व हकूक खातेदारी काश्तकारी में कभी किसी प्रकार से कोई मदाखलत व मजाहमत नहीं करे और वादी को बेदखल कर अपना कोई कब्जा नंहीं करे तथा वादी को अपनी आराजी में बोई हुई फसलों को नष्ट व बरबाद नहीं करे, न उसकी डौल मैडों को तोडे।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 11 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत दावा की अधिंकाश बदों को अस्वीकार करते हुये विशेष विवरण में अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के बाबा स्व0 श्री रामचरन आराजी खसरा नम्बर 212 रकवा 0.14 एयर, 215 रकवा 0.34 एयर, 216 रकवा 0.85 एयर, 237 रकवा 2.23 एयर, 238 रकवा 0.10 एयर, 239 रकवा 0.08 एयर, 240 रकवा 0.20 एयर , 241 रकवा 1.26 एयर, 242 रकवा 0.02 एयर किता 9 रकवा 5.22 हैक्टे0 वाके ग्राम गोठरा तहसील बयाना के 2/6 भाग के रिकार्डेड खातेदार–काश्तकार व काबिज आराजी थे, यह आराजी रामचरन ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद की थी हम प्रतिवादीगण की उक्त आराजी को वादी अपने कथित पट्टे की आड में व भूतपूर्व सैनिक होने का फायदा उठाकर हमसे हडपकर नाजायज कब्जा करना चाहता था, जिसके लिये वादी ने 10.07.2002 को हम प्रतिवादीगण के पिता /बाबा रामचरन ने श्रीमान जी न्यायालय में दिनांक 10.07.2002 को वादी के विरूद्ध अपनी आराजी को सुरक्षित रखने के लिए एक वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जो 229/2002 पर दर्ज होकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया जिसमें प्रतिवादी स्वयं अपने अधिवक्ता श्री गयालाल शर्मा एडवोकेट के साथ उपस्थित आये एवं अपनी ओर से जबाब दावा प्रस्तुत किया न्यायालय श्रीमान ने तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी में वाद पत्र लगाया साक्ष्य वादी में वादी ने अपनी दस्वावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी सम्बत् 2055 लगायत 2058 प्रदर्श 1, नक्शा अक्स प्रदर्श 2 व खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत एवं जवानी साक्ष्य मे वादी स्वंय पी.ड.–1 व पी.ड. –2 हरीसिंह के कथन लेखबद्ध कराये, वादी भवंरसिंह ने अपनी साक्ष्य में न तो कोई जवानी साक्ष्य प्रस्तुत की और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की थी और भंवरसिंह वादी को साक्ष्य समाप्त की जाकर व वहस अन्तिम सुनी जाकर वादी के वाद पत्र को दिनांक 11.03.2004 को भंवरसिंह वादी के विरूद्ध निम्न प्रकार से डिक्री कर दिया गया, ''दावा डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी असल को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 212 रकवा 0.14 एयर, 215 रकवा 0.34 एयर, 216 रकवा 0.85 एयर, 237 रकवा 2.23 एयर, 238 रकवा 0.10 एयर, 239 रकवा 0.08 एयर, 240 रकवा 0.20 एयर , 241 रकवा 1.26 एयर, 242 रकवा 0.02 एयर वाके ग्राम गोठरा तहसील बयाना वादी रामचरन की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत वेजा नहीं करें और न ही वादी को वेदखल कर नाजायज कब्जा करें'' जबाव दावे के साथ फैसला व डिक्री की प्रति संलग्न है, इससे साफ जाहिर है कि वादी भंवरसिंह हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध गलत व झूंठा दावा करके व झूंठी प्रथम सूचना रिपोर्ट करके हम प्रतिवादीगण की आराजी को छिनाना चाहता है जिसका कि वादी को कोई अधिकार नहीं है इसलिए दावा वादी हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा वादी हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दावा व जबाव दावा के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गयीः–

1. आया वाद पत्र की खण्ड संख्या 1 अनुसार विवादित आराजीयात का वादी रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार काविज आराजी है।
2. आया वाद ग्रस्त आराजी वादी को दिनांक 05.06.1999 को आवंटित की गई थी।
3. आया प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दिनांक 13.02.2016 को धमकी दी है।
4. आया उत्तर वाद में मद संख्या 12 अनुसार वादी अपने कथित पट्टे की आड में प्रतिवादीगण की आराजी को हडपना चाहता है।
5. दादरसी

प्रकरण में वादी द्वारा दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 ग्राम गोठरा प्रदर्श 2 आवंटन प्रमाण पत्र, प्रदर्श 3 पर्चा मौका ग्राम गोठरा

दिनांक 19.07.2001, प्रदर्श 4 नक्शा किश्तवार सम्वत 2045 एवं मौखिक साक्ष्य में PW 1 लांसनायक भंवरसिंह , PW 2 भूली पुत्र भगवत जाति–गूजर निवासी बृहम्वाद तहसील बयाना के शपथ पत्र पेश किये।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श ए 1 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 ग्राम गोठरा, प्रदर्श ए 2 नकल नक्शा सन् 1988 ग्राम गोठरा, प्रदर्श ए 3 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 232 वर्ष 2015, प्रदर्श ए 4 अंतिम रिपोर्ट मुकदमा नम्बर 232/15, प्रदर्श ए 5 निर्णय 11.03.2004 मु0न0 229/2002 उनवानी रामचरन बनाम भंवरसिंह, प्रदर्श ए 6 डिक्री मु0न0 229/2002 उनवानी रामचरन बनाम भंवरसिंह एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में DW 1 तिमनसिंह, DW 2 मेघसिंह के शपथ पत्र पेश किये।

प्रकरण में हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष को सुना। एड0 वादी ने अपने तर्को के माध्यम से दावा वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

एड0 प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जबाव दावा के तथ्यों को दोहराते हुये दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है:–

तनकी नम्बर 1– आया वाद पत्र की खण्ड संख्या 1 अनुसार विवादित आराजीयात का वादी रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार काविज आराजी है।– इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी का है। प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 की कॉलम संख्या 4 में वादी ला.ना. भंवरसिंह पुत्र गिर्राजसिह कौम गुर्जर सा. मालीपुरा तह. भरतपुर खातेदार खसरा नम्बर 243, 244, 245 में दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 2 आवंटन प्रमाण पत्र कार्यालय उपजिलाधीकारी बयाना द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 15 के अधीन आवंटित भूमि का प्रमाण पत्र वादी लांसलायक भवरसिंह को दिनांक 05.06.1999 को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 243 रकवा 0.04, 244 रकवा 0.03, 245 रकवा 1.23 कुल 1.30 हैक्ट जारी किया गया है। प्रदर्श 3 मौका पर्चा ग्राम गोठरा अनुसार खसरा नम्बर 243 रकवा 0.04, 244 रकवा 0.03, 245 रकवा 1.23 कुल 1.30 हैक्ट का सीमाज्ञान कराया गया है। PW 1 लांसनायक भवरसिंह ने अपने बयानों में अंकित कराया है कि मेरी आराजी ग्राम गोठरा तहसील बयाना की खसरा नम्बर 243/4 एयर, 244/3 एयर, 245/1.23 हैक्ट कुल किता 3 रकवा 1.30 हैक्ट. है। वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 का खसरा नम्बर 243, 244, 245 से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है यह कहना सही है दिनांक 04.07.2015 को दिन के करीब 11–12 बजे पटवारी व गिरदावर के साथ मै गया था तो हाकीम, मुनीम व उनके लडकें हसंराज, कल्ला व भगवानसिंह अपने तीनो भाईयों के साथ तथा इनके लडके हेतराम व दिनेश ने नाप नहीं करने दी। इन्होने मेरे साथ मारपीट की व नाप नहीं करने दी। मेरे सिर मे चोट आई। यह कहना गलत है कि दिनांक 4.7.2015 को भगवानसिंह उनके भाई व लडके वक्त घटना वहां मौजूद ना हो। मैने भगवानसिंह उनके भाई व लडकों के नाम झूठे नहीं लिखाऐ सही लिखाये थे। यह बात सही है कि पुलिस ने जॉच दौरान उनके नाम निकाल दिये। मुनीम व हाकिम दोनो के चालान हुये। असखुद कहां पुलिस ने पैसे लेकर नाम निकाले। मैने इनके गलत नाम निकालने बाबत कलेक्टर साहब से शिकायत भी की। जिसकी कॉपी मैने दावें में पेश नहीं की। सीओ साहब को मुहजबानी शिकायत की व उन्होने बोला कि थाने जाकर शिकायत करो तुम्हे न्याय मिलेगा। मैने चालान पेश होते वक्त अन्य मुलजिमान जो पुलिस से निकाल दिये उनको मुल्जिम बनाने की दरख्वास्त मजिस्ट्रेट साहब के यहां पेश की थी। उसकी कॉपी

उपखण्ड अधिकारी (भरतपुर, राज.)

मैने दावे में पेश नहीं की। यह कहना गलत है कि मै झूठी एफ.आई.आर को आड में प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 11 की जमीन पर कब्जा करना चाहता हूं। यह कहना सही है कि प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 के पिता व 10 लगा0 11 के बाबा रामचरण आराजी खसरा नम्बर 211, 215, 216, 237, 238, 239, 240, 241, 242 किता 9 रकवा 5.22 हैक्ट में से 2/6 भाग के रिकार्डेड खातेदार काश्त है। मुझे पता नहीं कि यह जमीन उन्होने वयनामा से खरीदी हो। यह कहना गलत है कि मै अपने पट्टे की आड़ में उनकी आराजी पर कब्जा करना चाहता था इसके विरूद्व 10.07.2002 को रामचरन से वाद पेश किया हो। यह कहना सही है कि मै इस दावे में जरिये वकील हाजिर आया व जबाबदावा पेश किया। यह कहना सही कि प्रतिवादी 6 लगायत 11 के पिता रामचरन के हक में मेरे खिलाफ 11.03.2004 को 188 का दावा डिक्री कर दिया। मैने डिक्री के खिलाफ कोई अपील पेश नहीं की यह बात सही है क्योंकि मेरा इनकी जमीन से व इनका मेरी जमीन से कोई लेना–देना नहीं है। यह कहना गलत है कि पट्टे के बाद मै कभी मौके पर नहीं गया बल्कि मै जाता रहा हूं व काश्त भी मै ही करता हूं। खसरा नम्बर 245 के पूर्व में हरनगर वैधपुरा के व्यक्तियों की जमीन है। नाम नहीं पता। व पश्चिम में भगवानसिंह बगैराह की जमीन है उत्तर में नजदीकी गावों के आदमी की जमीन है गांवों का नाम नहीं पता। व दक्षिण में हाकिम व मुनीम ने चारागाह पर नाजायज कब्जा कर रखा है। 243 व 244, 245 के दक्षिण में है। बाकी दिशाओं में किन–किन खातेदारों की जमीन है यह मै नहीं बता सकता। मै किसी अन्य की फसल नहीं बता सकता कि उन्होने क्या बो रखा है। यह कहना गलत है कि मैं पट्टे की आड में प्रतिवादी 6–11 की जमीन पर कब्जा करना चाहता हूं। PW 2 भूली पुत्र भगवत जाति–गूजर निवासी बृहम्वाद तहसील बयाना ने अपने बयानों में अंकित कराया है कि भंवरसिंह मेरे सगे जीजा जी लगते है। यह सही है कि मै अपने गांव बृहम्वाद ही रहता हूं। मै भगवानसिंह, सोनी, तिमन, महाराजसिंह को जानता हूं। व रामचरन जी को भी जानता हूं। हेतराम और दिनेश को मै शक्ल से जानता हूं। क्योंकि हमारी रिश्तेदारी नगला ठोडा में है। वहां मेरे चाचा का लडका भी ब्याहा है। यह सही कि हमारी रिश्तेदारी में कोई कार्यक्रम, विवाह आदि होता है तभी में नगला ठोडा जाता हूं। बीच–बीच में मेरा कोई काम नहीं पडता में नगला ठोडा नहीं जाता। रामचरन की उम्र का मेरे पास कोई आकलन नहीं है पर लगभग 65 या 70 वर्ष होगी। दिनेश व हेतराम की कितनी उम्र है मुझे मालूम नहीं है। मैने दिनेश व हेतराम दोनों को देखा है। दिनेश और हेतराम के पिताजी का क्या नाम है मै नहीं जानता। यह कहना भी सही है कि मै तिमन, सोनी, भगवानसिंह व महाराजसिंह के पिताजी का नाम भी नहीं जानता। यह कहना सही है कि मै इनको नाम से नहीं जानता। आज इस अदालत में भगवानसिंह जी व एक अन्य व्यक्ति और आये है। मैने वो जमीन देखी है सर्वप्रथम मै वहां 2015 में गया था। खसरा नम्बर 3 है। एक खसरा नम्बर 4 कछ का एक 3 का एवं कुल आराजी करीब सवा आठ बीघा के करीब है। फिर कहा कि एक बडा 1.23 हैक्ट. का है। खसरा न0 1.23 हैक्ट के पश्चिम में मुनीम, हाकिम का खेत है। पूर्व का मैं नहीं बता सकता। उत्तर में सड़क के पार एक दो खेत छोडकर इनका ही खेत है। दक्षिण में भी भंवरसिंह का ही खेत है। छोटे नम्बरों के उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम में किसके खेत है मै नहीं बता सकता। मै उसके बाद भी डुमरया जाता हूं तो खेतों को देखते हुये जाता हूं। मुझे ठीक से ध्यान नहीं है कि ये खेत सडक से एक दो खेत छोडकर है। डुमरया मै बीसो बार गया हें पर तारीख या महिना मै नहीं बता सकता। अतः उक्त विवेचन से

सिद्व है कि वादी खसरा नम्बर 243 रकवा 0.04, 244 रकवा 0.03, 245 रकवा 1.23 कुल 1.30 हैक्ट ग्राम गोठरा में खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। यह तनकी पक्ष वादी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2– आया वाद ग्रस्त आराजी वादी को दिनांक 05.06.1999 को आवंटित की गई थी।– इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी का है वादी ने प्रदर्श 2 आवंटन प्रमाण पत्र कार्यालय उपजिलाधीकारी बयाना द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 15 के अधीन आवंटित भूमि का प्रमाण पत्र वादी लांसलायक भवरसिंह को दिनांक 05.06.1999 को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 243 रकवा 0.04, 244 रकवा 0.03, 245 रकवा 1.23 कुल 1.30 हैक्ट जारी किया गया है। अतः यह तनकी पक्ष वादी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3:– आया प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दिनांक 13.02.2016 को धमकी दी है।– इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी का है। इस तनकी बाबत उभयपक्षकारान की ओर से कोई बल नहीं दिया गया है। अतः यह तनकी सिद्व नहीं की जा सकती है।

तनकी नम्बर 4:– आया उत्तर वाद में मद संख्या 12 अनुसार वादी अपने कथित पट्टे की आड में प्रतिवादीगण की आराजी को हडपना चाहता है।– इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण ने डीडब्ल्यू 1 तिमनसिंह ने अपने बयानों में अंकित कराया है कि वादी भगवानसिंह का गोठरा में पट्टा हुआ था। भगवानसिंह खातेदार है। वादी भंवरसिंह के खसरा नम्बर 2043, 2044 किता 3 रकवा 1.30 हैक्ट. है का खातेदार है या नहीं मेरी जानकारी में नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 243, 244, 245 किता रकवा 1.30 हैक्ट है का भंवरसिंह खातेदार हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। उपरोक्त खसरा नम्बरों का भंवरसिंह के नाम पटटा हुआ हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। भंवरसिंह के उपरोक्त खसरा नम्बरों की पैमाईश हेतु दिनांक 04.07.2015 को पटवारी गिरदावर तहसीलदार के आदेशानुसार ग्राम गोठरा में गये हो तो हमें नहीं पता ना ही हमारी जानकारी में है। उपरोक्त खसरा नम्बरों की दिनांक 04.07.2015 को पैमाईश हुई हो तो हम मौके पर नहीं थे ना ही हमारी जानकारी में है। यह कहना गलत है कि हमने दिनांक 04.07.2015 को वादी से मारपीट की हो। हम मौके पर नहीं थे। यह कहना गलत है कि उक्त झगडे की बाबत हमारे खिलाफ एफआईआर संख्या 232/2015 थाना रूदावल में दर्ज हुई हो। यह कहना गलत है कि हमने वादी भंवरसिंह को दिनांक 13.02.2016 को उक्त आराजी को जोतने नही देने की धमकी दी हो। हमने पटटे की आड में वादी को कोई धमकी नहीं दी। भंवरसिंह वादी की उपरोक्त खातेदारी आराजी के बगल मे हम प्रतिवादीगण की जमीन हो तो हमारी जानकारी में नहीं है। डीडब्लयू 2 मेघसिंह ने भी अपने बयानों में अंकित कराया है कि आराजी खसरा नम्बर 243, 244, 245 से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है। दोनों पक्षों के खसरा नम्बर अलग–अलग है। दोनों पक्ष अलग–अलग नम्बरों के खातेदार है। प्रतिवादीगण कही भी सिद्व नहीं कर पाये है कि वादी पटटे की आड में उनके नम्बरों को हडपना चाहता है। प्रतिवादीगण अपनी आराजी पर काबिज है। अतः यह विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

दादरसी

तनकी नम्बर 01 लगायत 03 व 05 प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की गई है। अतः दावा वादी निम्न आधार पर स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाता है प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह आराजी खसरा नम्बर 243 रकवा 0.04, 244 रकवा 0.03, तथा 245 रकवा 1.23 किता 3 कुल रकवा 1.30 हैक्ट वाके ग्राम गोठरा तहसील बयाना में वादी के कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग व हकूक खातेदारी काश्तकारी में कभी किसी प्रकार की कोई मदाखलत मजाहमत नहीं करे वादी को बेदखल कर अपना कोई कब्जा नहीं करें। वादी को अपनी आराजी में बोई फसलों को बरबाद नहीं करे, वक्त आराजी की पैमाईश के समय पडौसी खातेदारों को सूचना अवश्य दें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9/4/26 .....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

न्यायालय उप जिला कलक्टर बयाना (भरतपुर)